सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

इन्दु कंवर बनाम अमरसिंह

दावा 113/2023

3-6-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.अ./24/ राजकाज/7489879 दिनांक 24-05-2024 अनुसार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वकील वादी ने प्रस्ताव के मुताबिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./24 राजकाज/7489879 दिनांक 24-05-2024 निर्णय/डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। आदेश पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर यह फैसला आज दिनांक 13/6/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	

ग्राम (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–113/2023

1. श्रीमती इन्दु कंवर पत्नि श्री विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम परडोली बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकरू।

वादी

बनाम

1. अमर सिह पुत्र अगर सिंह,
2. कुशाल सिह पुत्र मांग सिंह,
3– गोविन्द सिंह पुत्र देवी सिंह,
4– युवराज सिह पुत्र गोविन्द रिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता गोविन्द सिह पुत्र देवी सिह,
5– रूद्रप्रताप सिह पुत्र गोविन्द सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिक पिता गोविन्द सिह पुत्र देवी सिह,
6– चाव कंवर पत्नि मांग सिह,
7– छिगन कंवर पुत्री महाबक्स सिह,
8– छीतर सिह पुत्र हीर सिह,
9–जदीश सिंह पुत्र छोग सिंह,
10–झबर सिंह पुत्र किशोर सिंह,
11–दयाल सिह पुत्र हीर सिंह,
12– नोरंग सिंह पुत्र हीर सिंह,
13– बजरंग सिह पुत्र किशोर सिंह,
14– भंवर सिंह पुत्र पाबूदान सिंह,
15– मनोहर सिंह पुत्र महाबक्स सिह,
16– मरूधर कंवर पत्नि गंगा सिह,
17– महेन्द्र सिंह पुत्र छोग सिंह,
18 मान सिंह पुत्र गंगा सिंह,
19– रतन सिंह पुत्र गंगा सिंह,
20– राम कंवर पत्नि छोग सिंह,
21–श्रवण सिह पुत्र छोग सिंह,
22– श्रीमती भंवर कंवर पत्नी स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
23– श्रीमती सुमन कंवर पुत्री स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
24– लाल सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
25–प्रहलाद सिह पुत्र स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

26–कैलाश कंवर पुत्री स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
27–नन्दू कंवर पुत्री स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
28–छिगनकंवर पुत्री स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
29–धापू कंवर पुत्री स्व0 श्री बहादूर सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बिड़द सिंह,
समस्त जाति राजपूत नि0ग्राम परडोली बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
30– भू–धारक, राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, धोद, जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार बेरवाल, वकील वादी की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 53 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः–13/6/24

:निर्णयः

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादी ने विभाजन हेतु मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि वाकै ग्राम परडोली बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 165 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा संख्या 166 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 172 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 173 रकबा 0.4400 हैक्टर, कुल किता–9 कुल रकबा 3.4700 है अवस्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 की सह खातेदारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी ने मौके पर विभाजन कर रखा है किन्तु राजस्व नक्शे व खातौनी में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी में मध्य विवाद तथा कृषि भूमि का सही सद्उपयोग अपनी सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इत्यादि।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को तलब किया। आदेशिका दिनांक 26.10.2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 30 के खिलाफ न्यायालय में विधिवत तामील के एक माह पश्चात उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात् दिनांक 26.10.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सीकर ग्रामीण को नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाने हेतु निर्देशित किया।

तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.अ./24/राजकाज/7489879 दिनांक 24.05.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। जिसे दिनांक 03.06.2024 को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा तहसीलदार (भू.अ.)

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

कर ग्रामीण द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान को नोटिस जारी किये है तथा असालतन तामील हुई है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि ख्खसरा संख्या 165 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा संख्या 166 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.6400 हैक्टर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा संख्या 172 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 173 रकबा 0.4400 हैक्टर, कुल किता–9 कुल रकबा 3.4700 है वाकै ग्राम परडोली बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 सहखातेदारान है।

वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य किया गया विभाजन को विभाजन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 3 पर अंकित कर एवं पृष्ठ संख्या 4 पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जिससे न्यायालय संतुष्ट है एवं पक्षकारात भी सहमत है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किया जाने योग्य है।

:आदेशः

परिणामतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./24/राजकाज/7489879 दिनांक 24.05.2024 निर्णय एवम् अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सीकर ग्रामीण अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर